राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 110/2014/भीलवाड़ा.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, भीलवाड़ा. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स शॉ मैन फैब्रिक्स, भीलवाड़ा. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर. के. अजमेरा,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री रतनलाल चेचानी,
अधिकृत प्रतिनिधि .....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 24/9/2014

निर्णय

1. यह अपील राजस्व द्वारा अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, भीलवाड़ा (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा गया है) के अपील संख्या 49/वैट/13–14 में पारित किये गये आदेश दिनांक 27.08.2013 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा गया है) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 31.5.2013 को वाहन संख्या आर.जे.30/जीए–2710 को ट्रांसपोर्ट नगर भीलवाड़ा में चैक किये जाने पर वाहन में परिवहनित माल रेडीमेड वस्त्र, जो नाथद्वारा से भीलवाड़ा परिवहनित किये जा रहे थे, के सम्बन्ध में वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा माल का कोई बिल/चालान प्रस्तुत नहीं किया गया। वाहन चालक ने बयान में उल्लेख किया कि माल भरवाने वाले व्यक्ति द्वारा कोई बिल/चालान नहीं दिया गया। माल नाथद्वारा में रॉयल होटल के पास भरा गया है तथा माल को भीलवाड़ा में चित्तौड़ रोड़ पर उतारने के लिये कहा गया है। वाहन चालक/माल प्रभारी को माल का भौतिक सत्यापन कराने हेतु नोटिस जारी किया गया। इस पर जांच तिथि दिनांक 31.5.2013 को ही फर्म मैसर्स शॉ मैन फैब्रिक्स, भीलवाड़ा के प्रोपराईटर श्री गौरव जाजू ने उपस्थित होकर बताया कि सन्दर्भित वाहन में मौजूद माल उनकी फर्म का है, जो मैसर्स श्रीजी कलैक्शन नाथद्वारा को पूर्व में भेजा गया था, वह वर्तमान में रिटर्न हो रहा है। सक्षम अधिकारी ने वक्त जांच कोई दस्तावेज नहीं होने से माल परिवहन में वेट अधिनियम की धारा 76(2)(बी) के प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए धारा 76(6) के तहत शास्ति रूपये 1,48,506/– एवं वैट रूपये 24,751/– का आरोपण सम्बन्धी आदेश दिनांक 01.06.2013 को पारित किया गया।

लगातार.....2

3. सक्षम अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी मैसर्स शॉ मैन फैब्रिक्स, भीलवाड़ा द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई अपील, अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.06.2013 से स्वीकार किये जाने के विरूद्ध अपीलार्थी विभाग द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

4. बहस के दौरान विभाग की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि माल परिवहन में वेट अधिनियम की धारा 76(2)(बी) के प्रावधानों का उल्लंघन होने के कारण, प्रत्यर्थी व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर उपलब्ध करवाने के पश्चात, धारा 76(6) के तहत शास्ति व वैट का आरोपण उचित प्रकार किया गया था। अतः शास्ति आदेश बहाल किये जाने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी मैसर्स शॉ मैन फैब्रिक्स, भीलवाड़ा की ओर से श्री रतनलाल चेचानी उपस्थित हुए। अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि जांच तिथि दिनांक 31.5.2013 को ही फर्म मैसर्स शॉ मैन फैब्रिक्स, भीलवाड़ा के प्रोपराईटर श्री गौरव जाजू ने उपस्थित होकर परिवहनित माल उनकी फर्म का होना जाहिर करते हुए प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया तथा वह माल मैसर्स श्रीजी कलैक्शन, नाथद्वारा को, जो माह जनवरी, 2013 में विक्रय किया गया था, पुनः विक्रय वापसी के रूप में लाया जाना बताया। अपने जवाब के साथ व्यवहारी मैसर्स श्रीजी कलैक्शन नाथद्वारा का एक लैटर प्रस्तुत किया, जिसमें माल वापस भेजने का विवरण दर्ज है। व्यवहारी मैसर्स शॉ मैन फैब्रिक्स, भीलवाड़ा ने वर्ष 2012–13 के चतुर्थ त्रैमास हेतु प्रस्तुत रिटर्न में घोषित बिक्री में इसका समावेश होना बताया तथा माल माह जनवरी, 2013 में बिक्री करना दर्शाया है। व्यवहारी ने उक्त बेचे गये माल को प्रपत्र वैट–10 में दर्शाया है। साथ ही वैट–10 चतुर्थ त्रैमास में बिक्री घोषित की है तथा नियमानुसार कर जमा करवाया है। कर दिनांक 6.3.2013 को जमा कराया जाना घोषित किया गया है। जांच तिथि दिनांक 31.5.2013 को ही माल मालिक ने जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर मैसर्स श्रीजी कलैक्शन नाथद्वारा के लैटर हैड पर माल को भेजने की विगत प्रस्तुत की है, जिसमें बिल क्रमांक FS/12 दिनांक 01.01.2013; FS/13 दिनांक 02.01.2013; FS/14 दिनांक 04.01.2013; FS/15 दिनांक 05.01.2013 व FS/16 दिनांक 05.01.2013 से कुल रूपये 4,69,020/– का माल रिटर्न किया गया था। विद्वान अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में माननीय राजस्थान कर बोर्ड की अपील संख्या 1535/1998/टोंक में पारित निर्णय दिनांक 10.9.2002 एवं अपील संख्या 1753/2012/भीलवाड़ा में पारित निर्णय दिनांक 26.2.2014 प्रस्तुत करते हुए राजस्व की अपील अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

लगातार.....3

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

7. दिनांक 31.5.2013 को वाहन की जांच किये जाने पर वाहन में बिना बिल/चालान के माल परिवहनित किया जाना पाया गया। इस सम्बन्ध में माल मालिक मैसर्स शॉ मैन फैब्रिक्स, भीलवाड़ा के प्रोपराईटर श्री गौरव जाजू ने उसी दिन उपस्थित होकर नाथद्वारा से श्रीजी कलैक्शन द्वारा माल रिटर्न होने का लैटर पैड पर प्रमाण प्रस्तुत कर दिया गया। सक्षम अधिकारी ने परिवहनित माल प्रेषण के उद्गम स्थल व प्रेषक का नाम पता ज्ञात हो जाने के उपरांत भी कोई जांच नहीं की। सक्षम अधिकारी की पत्रावली के पृष्ठ संख्या 20 पर श्रीजी कलैक्शन का वैट–07 की प्रति उपलब्ध है, जिसमें इस खरीद का उल्लेख किया हुआ है। अतः प्रकरण सक्षम अधिकारी को प्रतिप्रेषित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि वे निम्न तथ्यों की जांच करते हुए विधिसम्मत आदेश पारित करें :–

(1) क्या मैसर्स श्रीजी कलैक्शन नाथद्वारा ने क्रय वापसी के रूप में उक्त परिवहनित माल को नाथद्वारा से प्रेषित किया था।

(2) मैसर्स शॉ मैन फैब्रिक्स भीलवाड़ा के द्वारा दिनांक 1.1.2013 से 5.1.2013 के दौरान मैसर्स श्रीजी कलैक्शन नाथद्वारा को जो माल बेचा गया है, उसका मैसर्स श्रीजी कलैक्शन की बहियात में इन्द्राज से सत्यापन कर पुष्टि करें।

(3) क्या मैसर्स श्रीजी कलैक्शन ने उक्त खरीदे गये माल का आई.टी.सी. क्लेम किया है, तथा क्रय वापसी के पश्चात आई.टी.सी. रिवर्स किया गया है ? इस हेतु त्रैमासिक विवरण पत्र में की गई घोषणा से सत्यापन कर पुष्टि करें।

8. यह भी उल्लेखनीय है कि विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत माननीय राजस्थान कर बोर्ड के न्यायिक दृष्टान्त प्रकरण के तथ्यों से सुसंगतता के अभाव में प्रत्यर्थी को कोई सहायता नहीं पहुंचाते हैं।

9. अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.8.2013 को अपास्त कर उपरोक्तानुसार अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अपील का निस्तारण किया जाकर प्रकरण सक्षम अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

10. निर्णय सुनाया गया।

24/9/2014

(मनोहर पुरी)
सदस्य